19. इन परिस्थितियों में, हम अपील मंजूर करते हैं और रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । परिणामस्वरूप, निरोध आदेश अपास्त किया जाता है । अपील तद्नुसार मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.

[2018] 4 उम. नि. प. 453

टी. पी. मुरुगन (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और एक अन्य

बनाम

बोजन

31 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 और 139 – चैक का अनादरण – उपधारणा – दोषसिद्धि – जहां चैक पर हस्ताक्षर करके उसे पाने वाले को जारी कर दिया गया हो, तो यह उपधारणा की जाती है कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था और यदि चैक जारी करने वाले द्वारा इस उपधारणा का खंडन नहीं किया जाता है, तो चैक का अनादरण होने पर उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी द्वारा चलाई जा रही मानिहदा टी प्रोड्यूस कंपनी प्रा. लि. में जमाओं और शेयरों के द्वारा पूंजी लगाने के लिए प्रविष्ट किया गया था । अपीलार्थियों ने तारीख 24 नवम्बर, 1998 को कंपनी के निदेशकों के पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी तथा उसका पुत्र कंपनी का भारसाधक बने रहे । अपीलार्थियों ने अपने देयों के प्रतिसंदाय के लिए मांग की । प्रत्यर्थी ने तारीख 7 अगस्त, 2002 को द्वितीय अपील में अपीलार्थी-के. पोसा नंदी के पक्ष में 51,00,000/- रुपए का वचनपत्र जारी किया । वचनपत्र में यह अभिलिखित था कि इसे एक ऋण की ऐवज में जारी

किया जा रहा है । प्रत्यर्थी ने मैसर्स मानिहदा टी प्रोड्यूस कं. लि. में किए गए विनिधानों के लिए अपने दायित्व का उन्मोचन करने के निमित्त उसी तारीख को दो चैक भी जारी किए, जिनमें से एक 37,00,000/- रुपए के लिए के. पोसा नंदी के पक्ष में और दूसरा 14,00,000/- रुपए के लिए टी. पी. मुरुगन के पक्ष में था । अपीलार्थियों द्वारा चैक भुनाने के लिए प्रस्तुत किए गए, जो प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए "संदाय रोकने" के निदेशों के कारण अनादृत हो गए । अपीलार्थियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट-2, कोयम्बटूर के न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दो परिवाद फाइल किए । विचारण न्यायालय ने यह पाया कि प्रत्यर्थी ने प्रोनोट पर और क्रमशः 37,00,000/- रुपए और 14,00,000/- रुपए के दोनों चैकों पर भी उसके हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है । प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थियों ने उनके समुत्थान अर्थात् मैसर्स मानिहदा टी प्रोड्यूस कं. लि. में पूंजी का विनिधान किया था । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि चैक और प्रोनोट एक विधिपूर्ण ऋण के प्रतिसंदाय/उन्मोचन के लिए जारी किए गए थे । प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषी पाया और उसे छह माह का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 3, कोयम्बटूर के समक्ष दांडिक अपील फाइल की । जिला और सेशन न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने जिला और सेशन न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दो दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए । उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर अधिरोपित भार से न्यायालय के मस्तिष्क में केवल संव्यवहार की प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की इस दलील को स्वीकार किया कि चूंकि चैक और प्रोनोट एक ही तारीख को जारी किए गए थे, इसलिए इसे केवल एक प्रतिभूति के रूप में समझा जा सकता है और ऐसा किसी ऋण या दायित्व के निमित्त नहीं किया गया था । उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया और अभियुक्त के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के

निर्णय को अपास्त कर दिया । अपीलार्थी-परिवादियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अधीन, जब एक बार चैक पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और धारक के पक्ष में जारी कर दिया गया है, तो यह कानूनी उपधारणा की जाती है कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया है । यह उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा है, यदि चैक जारी करने वाला इस भार का निर्वहन करने में समर्थ हो जाता है कि चैक किसी ऋण के लिए प्रतिभूति जैसे अन्य प्रयोजन के लिए जारी किया गया था । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी कानूनी उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है । यह बात निम्नलिखित परिस्थितियों से स्पष्ट हो जाती है – (i) प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने चैकों में दी गई रकम के लिए एक प्रोनोट जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित था कि यह एक ऋण के लिए जारी किया जा रहा है । (ii) प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि उसने ऋण के प्रतिसंदाय के लिए वर्ष 1995 में अभिकथित रूप से 10 कोरे चैक जारी किए थे, विचारण न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों द्वारा इस आधार पर अविश्वसनीय पाई गई कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 1995 से लेकर सात वर्षों तक चैकों को वापस करने के लिए नहीं कहा था । यह प्रतिरक्षा स्पष्ट रूप से एक बहाना है और विश्वसनीय नहीं है, अतः इसे ठीक ही त्यक्त किया गया है । (iii) प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2002 को 37,00,000/- रुपए और 14,00,000/- रुपए के दो चैक जारी करने के पश्चात् तारीख 9 नवम्बर, 2002 का पत्र पूरी तरह यह जानते हुए लिखा गया था कि उसके खाते में पर्याप्त निधियां नहीं हैं । तारीख 9 नवम्बर, 2002 का पत्र सोचा-समझा था और दायित्व से बचने के लिए लिखा गया था, क्योंकि अपीलार्थियों से सात वर्षों तक कभी भी चैक वापस करने के लिए नहीं कहा गया था । (iv) प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित तारीख 7 अगस्त, 2002 का प्रोनोट अभिकथित रूप से एन. आर. आर. फाइनेंसिज के एक कर्मचारी महेश, प्रति. सा. 2 द्वारा भरा गया था, मिथ्या होने के कारण नामंजूर कर दी गई थी । प्रति. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज फाइल नहीं किया था कि वह एन. आर. आर. फाइनेंसिज का कर्मचारी है । इसके विपरीत, अपीलार्थी-परिवादियों ने एन. आर. आर. फाइनेंसिज इंवेस्टमेंट प्रा. लि. के

निदेशक, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 तथा एन. आर. आर. चिट फंड के एक सदस्य, अभि. सा. 3 को पेश किया, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि प्रति. सा. 2 कभी भी एन. आर. आर. फाइनेंसिज का कर्मचारी नहीं था । अपीलार्थियों ने अपने पक्षकथन को यह सिद्ध करने के लिए कि दोनों चैक विद्यमान दायित्व और विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन की ऐवज में जारी किए गए थे, जबरदस्त साक्ष्य द्वारा साबित किया है । प्रत्यर्थी द्वारा यह स्वीकार करने पर कि चैकों और प्रोनोट पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, धारा 139 के अधीन उपधारणा लागू हो जाती है । प्रत्यर्थी कोई सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है । अतः उसकी प्रतिरक्षा नामंजूर की जाती है । उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, 2008 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1657-1658 में तारीख 27 सितंबर, 2013 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और जुर्माने के आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाता है । (पैरा 8, 9 और 10)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 8 एस. सी. सी. 378 : **टी. वसंतकुमार** बनाम **विजयकुमारी** ;	6
[2010]	(2010) 11 एस. सी. सी. 441 : **रंगप्पा** बनाम **श्रीमोहन** ;	6
[2001]	(2001) 8 एस. सी. सी. 458 : **के. एन. बीना** बनाम **मुनियाप्पन और एक अन्य** ।	6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 950-951.

2008 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1658 और 1657 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 27 सितम्बर, 2013 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्रीमती वी. मोहना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सुश्री काशवी दत्ता और श्री अनूप कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री आर. बसंत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, बी. रघुनाथ, आरोकियाराज और विजय कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा ने दिया ।

न्या. मल्होत्रा – वर्तमान विशेष इजाजत याचिकाएं 2008 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1657 और 1658 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 27 सितंबर, 2013 को पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं । नोटिस जारी करने के पश्चात् अंततः विशेष इजाजत याचिकाओं की सुनवाई की गई । इजाजत दी गई ।

1.1. ये अपीलें अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रमशः 37,00,000/- रुपए और 14,00,000/- रुपए के दो चैकों का अनादर करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए दो परिवादों से उद्भूत हुई हैं ।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं :–

(2.1). अपीलार्थियों ने यह निवेदन किया कि उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा चलाई जा रही मानिहदा टी प्रोड्यूस कंपनी प्रा. लि. में जमाओं और शेयरों के द्वारा पूंजी लगाने के लिए प्रविष्ट किया गया था ।

(2.2). अपीलार्थियों ने तारीख 24 नवम्बर, 1998 को कंपनी के निदेशकों के पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी तथा उसका पुत्र, प्रति. सा. 3 कंपनी का भारसाधक बने रहे । अपीलार्थियों ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी कंपनी में उनके अंश को वापस करने में असफल रहा । अपीलार्थियों ने अपने देयों के प्रतिसंदाय के लिए मांग कीं । प्रत्यर्थी ने तारीख 7 अगस्त, 2002 को द्वितीय अपील में अपीलार्थी के. पोसा नंदी के पक्ष में 51,00,000/- रुपए का वचन पत्र जारी किया । वचन पत्र में यह अभिलिखित था कि इसे एक ऋण की ऐवज में जारी किया जा रहा है । प्रत्यर्थी ने मैसर्स मानिहदा टी प्रोड्यूस कंपनी में किए गए विनिधानों के लिए अपने दायित्व का उन्मोचन करने के निमित्त उसी तारीख को दो चैक भी जारी किए, जिनमें से एक 37,00,000/- रुपए के लिए के. पोसा नंदी के पक्ष में और दूसरा 14,00,000/- रुपए के लिए टी. पी. मुरुगन के पक्ष में था ।

(2.3). अपीलार्थियों द्वारा तारीख 3 फरवरी, 2003 को चैक भुनाने के लिए प्रस्तुत किए गए, जो प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए 'संदाय रोकने' के निदेशों के कारण अनादृत हो गए ।

(2.4). अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी को अपने ऋण/दायित्व का

उन्मोचन करने और उनके देयों को चुकाने का आह्वान करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कानूनी सूचनाएं जारी कीं ।

(2.5). प्रत्यर्थी ने तारीख 17 फरवरी, 2003 के अपने उत्तर द्वारा अपीलार्थियों के दावे का खंडन किया ।

(2.6). अपीलार्थियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट- II, कोयम्बटूर के न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दो परिवाद फाइल किए ।

(2.7). प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित कोरा वचन पत्र उधार पर एक लॉरी खरीदने के लिए एन. आर. आर. फाइनेंसिज इंवेस्टमेंट प्रा. लि. के पक्ष में एक अवक्रय करार के अधीन जारी किया गया था । उक्त वचन पत्र अपीलार्थी-परिवादियों के पक्ष में जारी नहीं किया गया था । उक्त वचन पत्र प्रत्यर्थी के उस पर हस्ताक्षर करवाने के पश्चात् एन. आर. आर. इंवेस्टमेंट के एक कर्मचारी महेश, प्रति. सा. 2 द्वारा भरा गया था । जो दो चैक अनादृत हो गए थे, उनके बारे में प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि ये चैक उन 10 कोरे चैकों में से थे जो हस्ताक्षर करने के पश्चात् अपीलार्थी के. पोसा नंदी को प्रतिभूति के रूप में उस समय सौंपे गए थे जब उसने वर्ष 1995 में 5,00,000/- रुपए उधार दिए थे । हालांकि इस ऋण का ब्याज सहित वर्ष 1996 में प्रतिसंदाय कर दिया गया था, तो भी चैक वापस नहीं किए गए थे । प्रत्यर्थी ने यह भी दलील दी कि उसने तारीख 9 नवम्बर, 2002 को एक पत्र जारी करके अपीलार्थियों से 10 कोरे चैक वापस करने के लिए कहा था ।

3. विचारण न्यायालय ने यह पाया कि प्रत्यर्थी ने प्रोनोट पर और क्रमशः 37,00,000/- रुपए और 14,00,000/- रुपए के दोनों चैकों पर भी उसके हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है । प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने उनके समुत्थान अर्थात् मैसर्स मानिहदा टी प्रोड्यूस कं. लि. में पूंजी का विनिधान किया था । न्यायालय ने अपीलार्थी को वर्ष 1995 में 10 कोरे चैक जारी करने की बाबत प्रत्यर्थी के वृत्तांत को अविश्वसनीय माना । प्रत्यर्थी सात वर्षों तक यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सका कि उसने कदापि उन 10 कोरे चैकों को वापस करने के लिए कहा था, जो उसके द्वारा अभिकथित रूप से अपीलार्थी को दिए गए थे । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत

किए गए विस्तृत साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि चैक और प्रोनोट एक विधिपूर्ण ऋण के प्रतिसंदाय/उन्मोचन के लिए जारी किए गए थे । प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषी पाया और उसे छह माह का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

4. प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 3, कोयम्बटूर के समक्ष 2006 की दांडिक अपील सं. 437-438 फाइल कीं । जिला और सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणाओं का खंडन नहीं किया गया है । परिवादियों द्वारा यह साबित किया गया है कि चैक जारी करने के समय पर प्रत्यर्थी के बैंक खाते में पर्याप्त धन था । प्रत्यर्थी ने असद्भावी आशय से "संदाय रोकने" के निदेश जारी किए थे । प्रत्यर्थी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा कि प्रोनोट अपीलार्थी के कब्जे में कैसे आया । इसके अतिरिक्त, सेशन न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रति. सा. 2 महेश के साक्ष्य को हितबद्ध साक्षी होने के कारण त्यक्त कर दिया, जिसने मिथ्या रूप से यह कथन किया था कि वह एन. आर. आर. फाइनेंसिज का कर्मचारी है । इस बात का खंडन दो साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 द्वारा किया गया, जो एन. आर. आर. फाइनेंसिज के निदेशक थे, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि प्रति. सा. 2 को कभी भी इस कंपनी में नियोजित नहीं किया गया था । जिला और सेशन न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की ।

5. प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 3, कोयम्बटूर द्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2008 को पारित किए गए निर्णय से व्यथित होकर मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 के दो दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1657-1658 फाइल किए । इस अपील में अपीलार्थी-परिवादियों ने आरंभ में हालांकि कार्यवाहियों में भाग लिया, किंतु अंतिम सुनवाई के दौरान वर्तमान अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई हाजिर नहीं हुआ । दांडिक पुनरीक्षण आवेदनों की एकपक्षीय सुनवाई की गई । उच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने न तो चैकों के जारी करने और न ही प्रोनोट या चैकों

पर अपने हस्ताक्षर न होने की बात से इनकार किया है । केवल परिस्थितियों, रीति और अवधि, जिसके दौरान चैक जारी किए गए थे, के बारे में इनकार किया गया । उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर अधिरोपित भार से न्यायालय के मस्तिष्क में केवल संव्यवहार की प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की इस दलील को स्वीकार किया कि चूंकि चैक और प्रोनोट एक ही तारीख को जारी किए गए थे, इसलिए इसे केवल एक प्रतिभूति के रूप में समझा जा सकता है और ऐसा किसी ऋण या दायित्व के निमित्त नहीं किया गया था । उन परिस्थितियों के बारे में संदेह जाहिर करके जिनमें प्रोनोट और चैक जारी किए गए थे, प्रत्यर्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा का निर्वहन कर दिया है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय और सेशन न्यायालय ने परिवादी द्वारा अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए सबूत के मानक के विधिक सिद्धांतों को लागू करने में गलती की है । उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया और अभियुक्त के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त कर दिया ।

6. अपीलार्थी-परिवादियों ने 2008 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 1657-1658 में तारीख 27 सितंबर, 2013 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान विशेष इजाजत याचिकाएं फाइल कीं । श्रीमती वी. मोहना, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व किया और यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने दोनों अनादृत चैकों और प्रोनोट पर अपने हस्ताक्षर होने की बात को स्वीकार किया है । अपीलार्थी-परिवादियों ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है । ज्येष्ठ काउंसेल ने अपने पक्षकथन के समर्थन में **रंगप्पा** बनाम **श्रीमोहन**[1], **के. एन. बीना** बनाम **मुनियाप्पन और एक अन्य**[2] तथा **टी. वसंतकुमार** बनाम **विजयकुमारी**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

7. श्री आर. बसंत, ज्येष्ठ काउंसेल प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर हुए और अन्य दलीलों के साथ-साथ यह दलील दी कि चैक किसी

---

[1] (2010) 11 एस. सी. सी. 441.

[2] (2001) 8 एस. सी. सी. 458.

[3] (2015) 8 एस. सी. सी. 378.

विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन की ऐवज में जारी नहीं किए गए थे, अपितु एक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे, और चुनौती के अधीन निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. हमने दोनों पक्षकारों की ओर से ज्येष्ठ काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन, जब एक बार चैक पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और धारक के पक्ष में जारी कर दिया गया है, तो यह कानूनी उपधारणा की जाती है कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया है । **के. एन. बीना** बनाम **मुनियाप्पन और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले के पैरा 6 और **रंगप्पा** बनाम **श्रीमोहन** (उपर्युक्त) वाले मामले के पैरा 26 के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है । यह उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा है, यदि चैक जारी करने वाला इस भार का निर्वहन करने में समर्थ हो जाता है कि चैक किसी ऋण के लिए प्रतिभूति जैसे अन्य प्रयोजन के लिए जारी किया गया था । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी कानूनी उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है । यह बात निम्नलिखित परिस्थितियों से स्पष्ट हो जाती है :–

(i) प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने चैकों में दी गई रकम के लिए एक प्रोनोट जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित था कि यह एक ऋण के लिए जारी किया जा रहा है ।

(ii) प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि उसने ऋण के प्रतिसंदाय के लिए वर्ष 1995 में अभिकथित रूप से 10 कोरे चैक जारी किए थे, विचारण न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों द्वारा इस आधार पर अविश्वसनीय पाई गई कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 1995 से लेकर सात वर्षों तक चैकों को वापस करने के लिए नहीं कहा था । यह प्रतिरक्षा स्पष्ट रूप से एक बहाना है और विश्वसनीय नहीं है, अतः इसे ठीक ही त्यक्त किया गया है ।

(iii) प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2002 को 37,00,000/- रुपए और 14,00,000/- रुपए के दो चैक जारी करने के पश्चात् तारीख 9 नवम्बर, 2002 का पत्र पूरी तरह यह जानते हुए लिखा गया था कि उसके खाते में पर्याप्त निधियां नहीं हैं । तारीख 9 नवम्बर, 2002 का पत्र सोचा-समझा था और दायित्व से बचने के

लिए लिखा गया था, क्योंकि अपीलार्थियों से सात वर्षों तक कभी भी चैक वापस करने के लिए नहीं कहा गया था ।

(iv) प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित तारीख 7 अगस्त, 2002 का प्रोनोट अभिकथित रूप से एन. आर. आर. फाइनेंसिज के एक कर्मचारी महेश, प्रति. सा. 2 द्वारा भरा गया था, मिथ्या होने के कारण नामंजूर कर दी गई थी । प्रति. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज फाइल नहीं किया था कि वह एन. आर. आर. फाइनेंसिज का कर्मचारी है । इसके विपरीत, अपीलार्थी-परिवादियों ने एन. आर. आर. फाइनेंसिज इंवेस्टमेंट प्रा. लि. के निदेशक, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 तथा एन. आर. आर. चिट फंड के एक सदस्य, अभि. सा. 3 को पेश किया, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि प्रति. सा. 2 कभी भी एन. आर. आर फाइनेंसिज का कर्मचारी नहीं था ।

9. अपीलार्थियों ने अपने पक्षकथन को यह सिद्ध करने के लिए कि दोनों चैक विद्यमान दायित्व और विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन की ऐवज में जारी किए गए थे, जबरदस्त साक्ष्य द्वारा साबित किया है । प्रत्यर्थी द्वारा यह स्वीकार करने पर कि चैकों और प्रोनोट पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, धारा 139 के अधीन उपधारणा लागू हो जाती है । प्रत्यर्थी कोई सटीक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है । अतः उसकी प्रतिरक्षा नामंजूर की जाती है ।

10. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, 2008 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1657-1658 में तारीख 27 सितंबर, 2013 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और जुर्माने के आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

11. तद्नुसार, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.